रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21062022-236726
CG-DL-E-21062022-236726

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2678] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 21, 2022/ज्येष्ठ 31, 1944
No. 2678] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 21, 2022/JYAISHTHA 31, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जून, 2022

का.आ. 2815(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम,1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 3743(अ), दिनांकित 21 अक्तूबर, 2020 में एतदद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की तालिका के कॉलम (1),(2) और (3) में क्रमश: निम्नलिखित प्रविष्टियों का विलोपन किया जाएगा:-

68	पाटन-महेसाना से गोजरिया (मेहसाना बाईपास सहित) खंड	किमी 483.200 से किमी 558.200

कॉलम संख्या (1), (2) और (3) में क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा: -

68	राधनपुर-प्रणजीत खंड	किमी 426/500 से किमी 591/585

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं. का.आ. 3743 (अ), दिनांक 21 अक्तूबर, 2020 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

[फा. सं. एनएच-14013/3/2022-पी एंड एम]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st June, 2022

S.O. 2815(E).— In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 3743(E), dated the 21st October, 2020, namely:-

In the Table to the said notification, for the following entries, under columns number (1), (2) and (3) respectively:-

68	Patan – Mehsana to Gojariya (including Mehsana bypass) section	Km. 483.200 to Km. 558.200

the following entries under columns number (1), (2) and (3) respectively, shall be substituted:-

68	Radhanpur - Pranjit section	Km. 426/500 to Km. 591/585

Note: - The principal notification was published vide number S.O. 3743(E), dated the 21st October, 2020.

[F. No. NH-14013/3/2022-P&M]

RAJESH GUPTA, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जून, 2022

का.आ. 2816(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम,1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 3254(अ), दिनांकित 5 जुलाई, 2018 में एतदद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, निम्नलिखित प्रविष्टियों के लिए:-

"राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 68 (राजस्थान राज्य में तनोट के निकट रारा-70 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर रामगढ़, भदसर, जैसलमेर, बाड़मेर, संचोर और गुजरात राज्य में थरड़, भाबर, राधनपुर, कमालपुर, खाखल, रोड़ा, धुनावाड़ा, पाटन, चानस्मा, मेहसाणा, खेरवा, गोजरिया, सामा, चुराडा, कुवडारा को जोड़ते हुए प्रांतिज के निकट रारा-48 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग)"

निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी:-

"राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 68 (राजस्थान राज्य में तनोट के निकट रारा-70 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर रामगढ़, भदसर, जैसलमेर, बाड़मेर, राजस्थान/ गुजरात सीमा तक संचोर को जोड़ने वाला)"

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं. का.आ. 3254(अ), दिनांकित 5 जुलाई, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

[फा. सं. एनएच-14013/3/2022-पी एंड एम]

राजेश गुप्ता, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st June, 2022

S.O. 2816(E).— In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O.3254(E), dated the 5th July, 2018 namely:-

In the said notification, for the following entries:-

"National Highways No. 68 (The highway starting from its junction with NH-70 near Tanot connecting Ramgarh, Bhadasar, Jaisalmer, Barmer, Sanchor in the State of Rajasthan, Tharad, Bhabar, Radhanpur, Kamalpur, Khakhal, Roda, Dunawada, Patan, Chanasma, Mahesana, Kherva, Gojariya, Sama, Churada, Kuvadara and terminating at its junction with NH-48 near Prantij in the State of Gujarat)"

the following entries shall be substituted:-

"National Highways No. 68 (The highway starting from its junction with NH-70 near Tanot connecting Ramgarh, Bhadasar, Jaisalmer, Barmer, Sanchor upto Rajasthan/ Gujarat border in the State of Rajasthan)"

Note: - The principal notification was published vide number S.O.3254 (E), dated the 5th July, 2018.

[F. No. NH-14013/3/2022-P&M]

RAJESH GUPTA, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जून, 2022

का.आ. 2817(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निदेश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कॉलम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में कार्य प्रत्येक राजमार्ग के सामने तालिका के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट राज्य सरकार द्वारा इस शर्त के अध्यधीन पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों का अनुपालन करने के लिए ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग), भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), दिनांकित 4 अगस्त, 2005 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

"उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 7 के लिए तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

तालिका

(1)	(2)	(3)
"7.	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 6, [किमी 29.100 से किमी 4.740 (हजीरा से सूरत) और किमी 7.325 से किमी 103.149 (सूरत से महाराष्ट्र/गुजरात सीमा) तक खंड को छोड़कर], सं. 8ए [किमी 00.000 से किमी 71.400 [कांडला – मुंद्रा पत्तन] और किमी 183.500 से किमी 362.160 (गांधीधाम से समखियाली से बामनबोर) तक को छोड़कर], सं. 8बी [किमी 000.040 से किमी 185.000 तक (पोरबंदर-राजकोट खंड) को छोड़कर], सं. 8डी [(किमी 00.000 से किमी 127.000 (जेतपुर-सोमनाथ) तक खंड को छोड़कर], सं. 8ई [किमी 7.090 - किमी 473.000 तक को छोड़कर] (भावनगर – तालजा – महुआ - कागावादर - ऊना - कोदीनार - वेरावल - गाडू - पोरबंदर - द्वारका खंड), नई रारा सं. 51 [बेट द्वारका (सिग्नेचर ब्रिज सहित) – ओखा द्वारका तक और वरतेज – सोंगाध – गधाडा– बोताड- रणपुर – लिंबडी – सुरेंद्रनगर – ध्रंगधरा से कुडा तक], सं. 56, सं. 58, सं. 59 [(किमी 4.200 से किमी 122.420 (अहमदाबाद-गोधरा) और किमी 129.300 से किमी 215.900 (गोधरा-गुजरात/मध्य प्रदेश सीमा) तक को छोड़कर], सं. 113, सं. 228, नई रारा सं. 68 **[किमी 426/500 से किमी 591/585 (राधनपुर-प्रणजीत खंड) तक को छोड़कर],** नई रारा सं. 151के, नई रारा सं. 151एडी, नई रारा सं. 351जी, नई रारा सं. 351के, नई रारा सं. 848के, नई रारा सं. 927सी, नई रारा सं. 927के, नई रारा सं.168, नई रारा सं.168ए, नई रारा सं. 168जी, नई रारा सं. 251, नई रारा सं. 341, नई रारा सं. 351, नई रारा सं. 754ए [संतालपुर – वाव – थरड़ – राजस्थान/गुजरात सीमा तक खंड को छोड़कर], नई रारा सं. 756, नई रारा सं. 848, नई रारा सं. 848ए, नई रारा सं. 848बी, नई रारा सं.927डी और नई रारा सं. 953 के उतने भाग जो गुजरात राज्य में अवस्थित हैं।	गुजरात राज्य सरकार"

टिप्पण: मूल अधिसूचना को का.आ. 1096 (अ), दिनांकित 04 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे पिछली बार का.आ.- 2408(अ), दिनांकित 27 मई, 2022 द्वारा संशोधित किया गया था।

[फा.सं. एनएच-14013/3/2022-पीएंडएम]

राजेश गुप्ता, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st June, 2022

S.O. 2817(E).— In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the

Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:-

In the said notification, in the Schedule, for serial number 7 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

TABLE

(1)	(2)	(3)
"7	So much of National Highways No. 6[excluding from km 29.100 to km 4.740 (Hazira to Surat) and km 7.325 to km 103.149 (Surat to Maharastra/Gujarat Border], No. 8A, (excluding from km. 00.000 to km. 71.400) [Kandla- Mundra port] and from km 183.500 to km 362.160 (Gandhidham to Samakhyali to Bamanbore), No.8B [excluding from km. 000.040 to km. 185.000 (Porbandar-Rajkot Section)], No. 8D [excluding from km. 00.000 to Km. 127.000 (Jetpur-Somnath), No. 8E [excluding from Km 7.090 to Km 473.000] (Bhavnagar – Talaja – Mahuva – Kagavadar – Una – Kodinar - VeravalGadu- Porbandar-Dwarka Section), New NH No. 51 [Stretch from Bet Dwarka (includingSignature Bridge)- Okha upto Dwarka and from Vartej- Songadh- GadhadaBotad- Ranpur- Limbdi- Surendranagar- Dhrangadhra upto Kuda], No.56, No. 58, No. 59 [excluding from Km 4.200 to 122.420 (Ahmedabad-Godhra) and from Km 129.300 to Km 215.900 (Godhra- Gujarat/Madhya Pradesh Border), No.113, No. 228, new NH No. 68 [excluding from **km 426/500 to km 591/585 (Radhanpur – Pranjit section)**], New NH No. 151K, New NH No. 151AD, New NH No. 351G, New NH No. 351K, New NH No. 848K, New NH No. 927C, New NH No. 927K, New NH No. 168, new No. 168A, new NH No. 168G, new NH No. 251, New NH No. 341, New NH No. 351, New NH No. 754K [excluding Santalpur- Vav- Tharad- Rajasthan/ Gujarat border section], New NH No. 756, New NH No. 848, New NH No. 848A, New NH No. 848B, New NH No. 927D, and New NH No. 953 as are situated within the State of Gujarat.	State Government of Gujarat."

Note: - The principal notification was published vide number S.O.1096 (E), dated the 4th August, 2005 and was last amended vide number S.O. 2408 (E), dated the 27th May, 2022.

[F. No. NH-14013/3/2022-P&M]

RAJESH GUPTA, Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.06.21 23:04:31 +05'30'